किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान एवं अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

प्रकाशन–

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान

परिकल्पना –

हंसा सिंह देव,
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
बाल अधिकारिता विभाग

लेखन–

गोविन्द बेनीवाल,
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

प्रतियां–

10,000

आवश्यक सूचना–

इस पुस्तिका को जन साधारण के हित में प्रकाशित किया जा रहा है। इसका उद्‌देश्य जन साधारण तक कानून संबंधी जानकारियों को पंहुचाना है अथवा समझ विकसित करने के लिए उपयोग में लेना है। इसे समय–समय पर कानून बदलाव के साथ संशोधित किया जायेगा। इस पुस्तिका में दी गई जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

संदेश

किशोर न्याय की परिकल्पना एवं बच्चों के संरक्षण के अधिकार को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल करते हुए नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू किया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के माध्यम से विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित किए गए है। इस अधिनियम की मंशा के अनुरूप इसके क्रियान्वयन के लिए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रथम चरण में बाल संरक्षण के तंत्र से जुड़े सभी घटकों का क्षमतावर्धन एवं आमुखीकरण की पहल की गई है।

बाल संरक्षण तंत्र से जुड़ी समस्त एजेंसियों एवं व्यक्तियों की इस नवीन कानून पर समझ विकसित करने के लिए विभाग द्वारा यह संक्षिप्त पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका को विधि से संघर्षरत बच्चों, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जागरूकता हेतु सरल भाषा में तैयार किया गया है। मैं बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने में सराहनीय सहयोग के लिए अंताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर को धन्यवाद देती हूॅ।

मैं आशा करती हूॅ कि यह पुस्तिका बाल संरक्षण से जुड़ी सभी एजेंसियों एवं आमजन की जानकारी बढाने में मददगार होगी। मैं उम्मीद करती हूॅ कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इसको रोचक व प्रभावी बनाने के लिए अपना अमूल्य सुझाव व मार्गदर्शन अवश्य देगें। इस आशा एवं विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके ज्ञानवर्धन एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है।

(हंसा सिंह देव)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

भारत सरकार ने 0—18 वर्ष के विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं के लिए नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू किया है।

इस नवीन कानून के माध्यम से पूर्व के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में प्रभावी किया है।

इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। इस कानून को कुल 112 धाराएं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 में निर्धारित बाल अधिकारों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों हेतु निर्धारित संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय न्यूनतम मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स), अपनी स्वतन्त्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, 1990 एवं बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 के अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत् बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रक्रियाएं तथा बाल संरक्षण सेवाओं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया गया है।

इस कानून के तहत् सभी बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए है, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे के अपराध की निर्दोषिता, गरीमा और योग्यता, सहभागिता, सर्वोत्तम हित, परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा, सकारात्मक उपाय, गैरकलंकनीय भाषा का प्रयोग, समानता और भेदभाव न करना, गोपनीयता का अधिकार, संस्थागत देखभाल अन्तिम विकल्प, नये सिरे से शुरूआत एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दौरान ये सिद्धान्त सभी प्राधिकरण/संस्थाओं एवं व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेगें।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

विधि से संघर्षरत बच्चे–

1. विधि से संघर्षरत अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संदर्भ में इस कानून में सुधारात्मक प्रक्रियाओं के साथ–साथ विशेष परिस्थितियों में दण्ड़ात्मक व्यवस्था के प्रावधान किए गए है।
2. ऐसे बालक–बालिकाएं जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तथा अपराध के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को विधि से संघर्षरत बच्चा माना गया है।
3. कानून में विधि से संघर्षरत बच्चों को उनके द्वारा किए गए छोटे अपराध अथवा गम्भीर अपराध अथवा जघन्य अपराध के अनुसार देखा जायेगा।
4. कानून में छोटे अपराध (अपराध जिनमें 3 वर्ष तक की सजा है), गम्भीर अपराध (अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है) एवं जघन्य अपराध (अपराध जिनमें 7 वर्ष इससे अधिक की सजा है) को परिभाषित किया गया है।
5. विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
6. किशोर न्याय बोर्ड 3 सदस्यों से बनी 1 न्यायपीठ होगी, जिसमें 1 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। बोर्ड को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

7. किशोर न्याय बोर्ड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोडकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के किसी भी न्यायिक अधिकारी को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकेगा।

8. किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव एवं योग्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा।

9. किन्ही परिस्थितियों में 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में जांच एवं विचारण का कार्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत् प्रत्येक जिले में स्थापित बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा किया जायेगा।

10. विधि से संघर्षरत बच्चे को अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. पुलिस द्वारा निरूद्ध विधि से संघर्षरत बच्चे के बारे में तत्काल के अभिभावक या संरक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा।

12. विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के दौरान प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रियाओं के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

13. किसी भी परिस्थिति में पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों को जेल या लॉकअप में नहीं रखा जायेगा।

14. किशोर न्याय बोर्ड का यह दायित्व है कि वह विधि से संघर्षरत बच्चे के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15. विधि से संघर्षरत बच्चे तथा वयस्क द्वारा कारित अपराध के प्रकरण में संयुक्त कार्यवाही नहीं की जायेगी।

16. कानून में विधि से संघर्षरत बच्चों को जमानती अथवा गैर जमानती अपराध में पुलिस थाने/किशोर न्याय बोर्ड के स्तर पर जमानत दिये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किये गये है।

17. विधि से संघर्षरत प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में बोर्ड के कम से कम 2 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय ही मान्य होगें।

18. विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा उनके द्वारा कोई छोटे या गम्भीर अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण संबंधित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही किया जायेगा।

19. छोटे अपराध में संलिप्त विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों का निस्तारण अधिकतम 4 से 6 माह में किया जायेगा अन्यथा वे प्रकरण स्वतः ही समाप्त माने जायेगें।

20. विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 16 से कम है तथा उनके द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण भी संबंधित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही किया जायेगा।

21. विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जो कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा उनकी आयु 18 वर्ष के कम है, के द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से 3 माह के अन्दर आवश्यक प्रारम्भिक आंकलन किया जायेगा।

22. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक आंकलन पश्चात ऐसे प्रकरणों में स्वयं के स्तर पर यह निर्णय लिया जायेगा कि जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे का प्रकरण बोर्ड द्वारा ही निस्तारित किया जावे कि इसे अग्रिम जांच विचारण के लिए संबंधित बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को हस्तानान्तरित किया जाए।

23. जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु वाले विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की गम्भीरता एवं प्रारम्भिक आंकलन को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड प्रकरण को बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को हस्तानान्तरित कर सकेगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) की अहम भूमिका रहेगी।

24. किन्हीं परिस्थितियों में बाल न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के विधि से संघर्षरत बच्चे को वयस्क अपराधी की तरह भी देखा जा सकेगा।

25. किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित प्रकरणों की स्थिति की 3 माह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 6 माह में अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की समिति के स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

26. किशोर न्याय बोर्ड को विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के अतिरिक्त बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व सौंपा गया हैं।

27. किशोर न्याय बोर्ड जिले में संचालित जेलों का निरीक्षण कर वहां पर विचाराधीन विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान कर उन्हें सम्प्रेक्षण गृह में हस्तान्तरित करने का कार्य भी करेगा।

28. विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है, के लिए बाल देखरेख संस्था के रूप में राजकीय अथवा गैर राजकीय संप्रेक्षण गृह तथा सुरक्षित अभिरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

29. जिन प्रकरणों का बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है, तथा विधि से संघर्षरत बच्चे को अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए गए है, उन बच्चों के लिए विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा गृह की व्यवस्था की गई है।

30. 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, के लिए सुरक्षित अभिरक्षा गृह तथा जिनके प्रकरणों को बाल न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है, वहां पर बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा गृह/जेल में रखने का प्रावधान किया गया है।

31. विधि से संघर्षरत बच्चे के प्रकरण के निस्तारण के समय किशोर न्याय बोर्ड कानून में निर्धारित 7 तरह के आदेशों में से कोई भी 1 उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

32. विधि से संघर्षरत बच्चों को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जायेगी।

33. 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, का आपराधिक रिकार्ड संधारित किया जा सकेगा। शेष समस्त श्रेणी के प्रकरणों में विधि से संघर्षरत बच्चे का काई आपराधिक रिकार्ड संधारित नहीं किया जायेगा।

34. किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इसी प्रकार बाल न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे–

1. कानून की धारा 2 (14) में 18 वर्ष से कम उम्र के 12 श्रेणी के बालक–बालिकाओं को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में घर से भागे हुए, सड़क पर रहने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, उपेक्षित, शोषित, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग तथा किसी अन्य असाध्य रोग (एच.आई.वी.एड्स/केन्सर इत्यादि) से ग्रसित बच्चे, अनाथ, परित्यक्त, समर्पित, गुमशुदा बच्चे, नशे से प्रभावित बच्चे, हिंसा से पीड़ित बच्चे, बाल विवाह से प्रभावित, सशस्त्र संघर्ष सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे सम्मिलित है।

3. कानून में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु बाल कल्याण समिति सक्षम प्राधिकारी है।

4. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों प्रकरणों में जांच, सुनवाई एवं बच्चों के पुनर्वास के संदर्भ में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 बाल कल्याण समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

5. प्रत्येक बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बाल कल्याण समिति को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

6. बाल कल्याण समिति में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव एवं निर्धारित योग्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा।

7. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को कोई भी प्राधिकारी/चाईल्ड लाइन (1098)/स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति द्वारा अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. कोई भी प्राधिकारी/संस्था/अस्पताल/नर्सिंग होम/व्यक्ति जिसे कोई भी परित्यक्त, गुमशुदा अथवा अनाथ बच्चा मिलता है, तो उसे अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर चाइल्ड लाईन (1098)/पुलिस/बाल कल्याण समिति/पंजीकृत गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना आवश्यक होगा।

9. कोई भी प्राधिकारी/संस्था/अस्पताल/नर्सिंग होम/व्यक्ति द्वारा कोई परित्यक्त, गुमशुदा अथवा अनाथ बच्चे की सूचना संबंधित एजेंसियों को नहीं देना अपराध होगा तथा ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 माह की सजा अथवा 10,000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–34)

10. बाल कल्याण समिति/पंजीकृत गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के संदर्भ में समिति कानून में निर्धारित 14 तरह के कार्य सम्पादित कर सकेगी।

12. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच की जायेगी। जांच लम्बित रहने अथवा बच्चे के पुनर्वास होने तक बच्चे को किसी पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा जायेगा।

13. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बाल कल्याण समिति स्वविवेक से प्रसंज्ञान लेकर भी कार्यवाही कर सकेगी।

14. बाल कल्याण समिति को प्रत्येक माह में 20 दिवस बैठकें आयोजित करना आवश्यक होगा।

15. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के प्रकरण के निस्तारण के समय बाल कल्याण समिति कानून में निर्धारित 8 तरह के आदेशों में से कोई भी 1 उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

16. अनाथ अथवा परित्यक्त बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त उसे दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त किया जा सकेगा।

17. मानसिक विमंदित माता के बच्चे अथवा यौन हिंसा से जन्में बच्चे को भी बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त किया जा सकेगा।

18. किन्हीं अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक कारणों से बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कानूनी रूप से समर्पित किया जा सकेगा। संबंधित अभिभावक अथवा संरक्षक को इस निर्णय के संबंध में 2 माह का पुर्नविचार का समय दिया जायेगा।

19. अनाथ अथवा परित्यक्त बच्चों के प्रकरणों में बच्चे के जैविक माता–पिता के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जायेगा।

20. लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के तहत् पीड़ित बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही भी संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा ही की जायेगी।

21. बाल कल्याण समिति का यह दायित्व है कि वह देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

22. किसी भी प्रकरण के निस्तारण के दौरान समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय ही मान्य होंगे।

23. प्रत्येक बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्था दायित्व है कि वे बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उसके समुचित पुनर्वास एवं समाज में पुर्नसमेकन सुनिश्चित करें।

24. जिला मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समिति के कार्यो की समीक्षा भी की जायेगी।

25. बाल कल्याण समिति के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, परन्तु फोस्टर केयर, प्रायोजकता एवं आफ्टर केयर से संबंधी अपील संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम–

1. कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो–विडियों मीडिया या अन्य कोई संवाद के माध्यम के द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे अथवा पीड़ित बच्चे अथवा साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेक्षण या न्यायिक कार्यवाही के तहत् बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो या अन्य विवरण का उजागर/प्रकाशन करता है, तो संबंधित व्यक्ति को 6 माह तक की सजा तथा 2.00 लाख रूपये तक का जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–74)

2. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है, द्वारा बच्चे पर प्रहार/हमला किया जाता है या परित्याग किया जाता है या उत्पीडन किया जाता है या जान बुझकर बच्चे की उपेक्षा की जाती है या उस पर प्रहार/हमला या परित्याग या उत्पीडन करवाता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसी हिंसा/क्रूरता किसी संस्था के व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो उसकी सुरक्षा एवं देखभाल के उत्तरदायी है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–75)

3. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भींख मंगवायेगा, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–76 (1))

4. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है, के द्वारा बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भींख मंगवाने दुष्प्रेरण करता है, तो उसे बच्चे की देखभाल एवं पालन–पोषण के लिए योग्य/उपयुक्त नहीं माना जायेगा। (धारा–76 (2))

5. कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश पर सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता है या दिलवाता है, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–77)

6. कोई भी व्यक्ति नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा तस्करी में बच्चे का उपयोग करेगा, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–78)

7. कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है या बंधुआ रखता है या उसकी आय को रोकता या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–79)

8. कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण/गोद देने की प्रक्रिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति या संस्था को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–80)

9. कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसुति केन्द्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–81)

10. किसी बाल देखरेख संस्था में बच्चे का वास्तविक प्रभारकर्ता अथवा संस्था में कार्यरत कर्मचारी द्वारा बच्चे को अनुशासित करने के लिए जानबूझकर शारीरिक दण्ड दिया जाता है, तो उसे प्रथम अपराध पर 10,000 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार की घटना/अपराध की पुनरावृत्ति करने पर उसे अधिकतम 3 माह की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–82 (1))

11. बाल देखरेख संस्था द्वारा संस्था में बच्चों की शारीरिक दण्ड देने की घटना में संबंधित जांच में सहयोग नहीं दिया जाता है या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेशों की पालना नहीं की जाती है, तो संस्था के प्रभारी को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–82 (1))

12. केन्द्र सरकार द्वारा गैर राजकीय स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल के रूप में पहचान किए गए समूह या दल द्वारा किसी भी कार्य के लिए बच्चों को भर्ती/नियुक्त किया जाता है या उपयोग करता है, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–83 (1))

13. किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क समूह द्वारा गैरकानूनी कार्य के लिए स्वयं के स्तर पर अथव गैंग के रूप में बच्चे का उपयोग किया जाता है, उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–83 (2))

14. उपरोक्त में से कोई भी अपराध किसी भी विकलांग बच्चे पर किया जाता है तो उसे अपराध की निर्धारित सजा से दुगूनी सजा से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–85)

15. उपरोक्त में से कोई भी अपराध दुष्प्रेरण (बहकाना/उकसाना) के फलस्वरूप घटित हो जाता है, तो ऐसे दुष्प्रेरक व्यक्ति को भी अपराध की निर्धारित सजा से दण्डित किया जायेगा। (धारा–87)

16. उपरोक्त बच्चों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों का विचारण निम्मानुसार वर्णित न्यायालयों द्वारा किया जायेगाः–

- ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, या केवल जुर्माने का प्रावधान है वे गैर संज्ञेय, जमानती होंगे, जिनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा किया जायेगा।

संस्थागत सेवाएं –

1. कानून के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न तरह की बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीयन हेतु विशेष प्रावधान एवं प्रकिया निर्धारित की गई है।

2. विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित अभिरक्षा गृह तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राजकीय अथवा गैर राजकीय बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, फिट फैसेलिटी तथा ओपन शेल्टर स्थापित/संचालित किए जायेगें।

3. प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त आवश्यक देखभाल, शिक्षण, जीवन कौशल एवं कौशल विकास इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

4. कानून के अंतर्गत प्रत्येक राजकीय/गैर राजकीय (स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित) बाल देखरेख संस्था को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

5. कानून के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बिना पंजीयन के बाल देखरेख संस्था का संचालन करना अपराध होगा। ऐसी स्थिति में संस्था प्राधिकारी व्यक्ति को 1 साल की सजा तथा कम से कम 1.00 लाख रूपये का जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–42)

6. कानून के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के पंजीयन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा 6 माह में कार्यवाही नहीं करने पर उसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। (धारा–41 (5))

7. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के अतिरिक्त बाल देखरेख संस्थाओं के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण समितियां स्थापित की जायेगी। इन सभी के द्वारा निर्धारित अन्तराल पर बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण किया जाकर बच्चों की सकुशलता एवं सुविधाओं का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

8. प्रत्येक बाल देखरेख संस्था को कानून और इस संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश व दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।

गैर संस्थागत सेवाएं–

दत्तक ग्रहण (गोद देना)

1. कानून के तहत् अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों को परिवार उपलब्ध कराने के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा।

2. अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों का देश के अन्दर या देश के बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाही इसी कानून के तहत् की जायेगी।

3. अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण में हिन्दु गोद देने और रखरखाव अधिनियम, 1956 लागू नहीं होगा।

4. किसी बच्चे का देश के अन्दर या देश के बाहर नजदीकी रिश्तेदार में दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाही भी इसी कानून के तहत् की जायेगी।

5. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दिशा–निर्देशों के तहत् दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जायेगी।

6. देश के बाहर रहने वाले भारतीय या भारत में जन्मे विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को देश के बाहर दत्तक ग्रहण में वरीयता दी जायेगी।

7. सिविल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने के उपरान्त ही दत्तक ग्रहण वैध माना जायेगा। न्यायालय को ऐसे प्रकरणों का इन–कैमरा ट्रायल के माध्यम से अधिकतम 2 माह में निस्तारण करना आवश्यक होगा।

8. प्रत्येक जिले में बच्चों के दत्तक ग्रहण करने के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियां स्थापित की जायेगी।

9. जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत दत्तक ग्रहण हेतु योग्य बच्चों का भी दत्तक ग्रहण के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियां अधिकृत होगी।

10. राज्य में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने तथा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का कार्य राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा) द्वारा किया जायेगा।

फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल)

1. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन–पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल) सेवाओं से जोडा जायेगा।

2. फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल) में लाभान्वित बच्चे की देखभाल के लिए फोस्टर पेरेन्ट्स को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मासिक स्तर पर आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रायोजकता सेवाएं

1. ऐसे अनाथ बच्चे, जिनकी देखरेख किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा की जा रही है, अथवा जिन बच्चों के माता–पिता किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है अथवा विधवा/परित्यक्त/तलाकशुदा महिला के बच्चों को राज्य सरकार की ओर से प्रायोजकता सेवाओं के तहत् निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

आफ्टर केयर (पश्चातवृति देखभाल)

1. प्रत्येक बच्चा जो बाल देखरेख संस्था से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त बाहर जा रहा है, उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान–

1. राज्य सरकार द्वारा कानून के कियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधनों सहित राज्य स्तर पर बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण इकाई स्थापित की जायेगी।
2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वे वृहद स्तर पर कानून के प्रावधानों का प्रचार–प्रसार एवं कानून के कियान्वयन से जुड़े व्यक्तियों का समय–समय पर क्षमतावर्धन सुनिश्चित करें।
3. राज्य सरकार प्रत्येक जिले या शहर स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की स्थापना करेगी, जिसके प्रमुख पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक होगें। इस इकाई में 2 प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।
4. प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर कम से कम सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में पुलिस के संपर्क आने वाले सभी बच्चों के प्रकरण देखे जायेगें। ये सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के सदस्य होगें।
5. रेल्वे के स्तर पर भी बच्चों के मामलों को देखने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित की जायेगी।
6. किसी भी श्रेणी बच्चे के समाप्त/निस्तारित प्रकरणों में पुलिस द्वारा बच्चों से संबंधित रिकार्ड का चरित्र प्रमाण–पत्र अथवा अन्य किसी अभिलेख में उल्लेख में नहीं किया जायेगा।
7. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक विधि संघर्षरत बच्चे अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की उम्र निर्धारण हेतु निम्न चरणबद्ध साक्ष्य प्रकिया अपनाई जायेगी–

- विद्यालय से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या समकक्ष कक्षा का प्रमाण–पत्र।
- उक्त के अभाव में पंचायत या स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र।
- उक्त के अभाव में बोर्ड/समिति के आदेश से 15 दिवस के अन्दर नवीनतम चिकित्सा पद्धति आधारित उम्र जांच।

8. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर किसी भी अधिकारी के द्वारा सद्भावना से की गई कार्यवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9. राज्य सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए अनुदान एकत्र करने एवं उसका उपयोग करने के लिए किशोर न्याय निधि स्थापित की जायेगी।

10. कानून के क्रियान्वयन के निगरानी का दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को दिया गया है। आयोग द्वारा इस संदर्भ में की गई गतिविधियों का विवरण पृथक अध्याय के रूप में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में सक्षम प्राधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थाएं

क्र. सं.	बच्चों का समूह/विषय	सक्षम प्राधिकारी	बाल देखरेख संस्थाएं
विधि से संघर्षरत बच्चे			
1.	छोटे एवं गम्भीर अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड	संप्रेक्षण गृह, फिट फैसेलिटी एवं विशेष गृह
2.	जघन्य अपराध के समय 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड	संप्रेक्षण गृह, फिट फैसेलिटी, एवं विशेष गृह
3.	जघन्य अपराध के समय 16–18 वर्ष उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड/ बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित अभिरक्षा गृह, फिट फैसेलिटी, विशेष गृह एवं जेल
देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे			
4.	0 से 18 वर्ष के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	बाल कल्याण समिति	बाल गृह, ओपन शेल्टर एवं फिट फैसेलिटी
बच्चों के विरूद्ध हिंसा			
5.	ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा	न्यायिक मजिस्ट्रेट	
6.	ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा	प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट	
7.	ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा	बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	
8.	बच्चों के विरूद्ध लैगिंक हिंसा/ शोषण	बाल/विशेष न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	
दत्तक ग्रहण			
9.	अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों का दत्तक ग्रहण कार्यवाही	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह
10.	बच्चों के दत्तक ग्रहण की अनुमति	सिविल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	
फोस्टर केयर			
11.	देखभाल एवं संरक्षण की	बाल कल्याण समिति	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण

	आवश्यकता वाले बच्चों को फोस्टर केयर में देना		एजेंसी, बाल गृह
12.	फोस्टर पेरेन्ट्स को आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	
प्रायोजकता सेवाएं (स्पोंसरशिप)			
13.	कानून में चिन्हित श्रेणी के बच्चों को प्रायोजकता सेवाओं के तहत् आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह, ओपन शेल्टर
आफ्टर केयर			
14.	बाल देखरेख संस्थान से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित अभिरक्षा गृह
अन्य महत्वपूर्ण विषय			
15.	विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना, संचालन एवं पर्यवेक्षण	राजस्थान पुलिस	
16.	राज्य में कानून का कियान्वयन एवं इसके अधीन संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं पर्यवेक्षण	राज्य सरकार	
17.	राज्य में कानून के कियान्वयन की निगरानी	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	